न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

अभियुक्त

1. उपेन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डे (मैनेजर एवं नॉमिनी)
   मैसर्स पालनपुर पैलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड़, माउन्ट आबू
   तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही
   निवासी- नेहरु कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 30/2017

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, अभियुक्त की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 17 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.1.2017 को समय 11.30 ए.एम. पर आवेदक विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स पालनपुर पैलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड़, माउन्ट आबू पर पॅहुचा व अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। उक्त दुकान में विक्रेता की हैसियत से उपेन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डे उपस्थित मिले, जिन्होंनें अपने आपको रेस्टोरेन्ट का मैनेजर होना बताया। उक्त रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण करने पर फ्रिजर के अन्दर स्टील की बडी कटोरी में 3 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था, जो सब्जी, पराठे, पनीर टिक्का आदि बनाने के काम में लिया जाता है। जिसकी शुद्धता की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरें, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 260/- नकद देकर एक किलोग्राम पनीर खरीदा एवं खरीद रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरें, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। विक्रेता व गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा पनीर को चम्मच से तोडकर साफ, सूखी, खाली चौडे मुंह की प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंद फॉर्मेलीन डालकर शीशीयों के मुंह को ढक्कन से

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

एयरटाईट बंद किया व मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के कोड एवं क्रमांक AD-515, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान व मैंने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को रेपर में लपेटकर अलग अलग कागज में रखकर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. AD-515 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता, गवाहान व मैंने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा मेरे द्वारा दिनांक 13.1.2017 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 13.1.2017 को मेरे द्वारा शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के पत्र क्रमांक 141-142 दिनांक 16.12.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/32/एक्ट/2017/30 दिनांक 24.1.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना AD-515 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में पालनपुर पेलेस होटल मेजवानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू में विक्रेता एवं मैनेजर उपेन्द्र पाण्डे द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित हुये एवं अभियुक्त की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

......पेज तीन पर

अधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 16.7.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्त के वकील ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अभियुक्त के फ्रिजर से निकाला गया पनीर होटल के स्टाफ के खाने हेतु उपयोग में लाने के लिये दिनांक 12.1.2017 को जय मां हिंगलाज डेयरी, ग्राम अचपुरा से क्रय किया था जिसका अप्रार्थी द्वारा क्रय किये जाने का बिल नं. 3 भी प्रार्थी को उपलब्ध करवाया गया था। चूंकि पनीर गांव के पशुओं के दूध का बना हुआ होता है जिसे होटल व्यवसायी अपने रोजमर्रा के उपयोग हेतु ताजा खरीद कर लाते है, लेकिन प्रार्थी ने उक्त पनीर के क्रय बिल को लेने से इनकार कर दिया व उक्त पनीर को अपने साथ ले गये। प्रार्थी ने अप्रार्थी को इस बात की जानकारी नही दी कि उक्त पनीर नमूना जांच हेतु क्रय किया जा रहा है। अप्रार्थी पनीर के खरीद फरोख्त का व्यवसाय नही करता है। अभियुक्त के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट से प्राप्त किया गया पनीर शुद्ध था जो अप्रार्थी द्वारा स्थानीय पनीर निर्माता से ताजा खरीद किया था जिसका बिल जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत किया है, यदि अप्रार्थी के यहां से प्राप्त किया गया पनीर अमानक स्तर का है तो उसमें अप्रार्थी को कोई दोष नही। अप्रार्थी ने उक्त पनीर स्थानीय डेयरी से खरीद किया था, इसलिये अप्रार्थी पर कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.1.2017 को समय 11.30 ए.एम. पर दौराने गश्त चैकिंग मैसर्स पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड़, माउन्ट आबू पर गये। उक्त होटल रेस्टोरेन्ट में विक्रेता एवं मैनेजर की हैसियत से उपेन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डे, निवासी- नेहरु कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण करने पर रेस्टोरेन्ट में पनीर, दही, दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री कब्जे में रखे हुये पाई। रेस्टोरेन्ट के फ्रिजर में स्टील की बडी कटोरी में 3 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था, जो सब्जी, पराठे, पनीर टिक्का आदि बनाने के काम में लिया जाता है, जिसकी शुद्धता की जांच हेतु आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना वास्ते जांच क्रय की सूचना विक्रेता व मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डे को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गवाहान के समक्ष विक्रेता एवं मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे को बाजार भाव से राशि रुपये 260/- (अक्षरे रुपये दो सौ साठ मात्र) नकद अदा कर 1 (एक) किलोग्राम पनीर स्टील की थाली में तुलवाकर खरीदा एवं खरीद रसीद प्राप्त की गई। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता एवं मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे एवं गवाह श्री आतीफ शेख पुत्र श्री मोहम्मद लतीफ, निवासी- माउन्ट आबू व श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

जोन- जोधपुर तथा आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/मैनेजर व उक्त गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा पनीर को चार भागों में बराबर-बराबर कर 4 साफ सूखी खाली चौडे मुंह की प्लास्टिक की शीशीयों में भरकर प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर शीशीयों के मुंह को ढककन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के कोड एवं कमांक AD-515, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विकेता/मेनेजर एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-515 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता/मेनेजर व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मैसर्स पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू में विक्रेता एवं मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.1.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.1.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

......पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या AD-515 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./32/Act/2017/30 दिनांक 24.1.2017 के अनुसार आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू में विक्रेता व मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि मैसर्स पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू में विक्रेता व मेनेजर उपेन्द्र पाण्डे द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू में उपेन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डे, निवासी- नेहरु कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू मेनेजर (प्रबन्धक) है एवं पालनपुर पेलेस होटल के नॉमिनी नियुक्त किये हुये है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है एवं उक्त उपेन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डे, मेनेजर एवं नॉमिनी, पालनपुर पेलेस होटल मेजबानी रेस्टोरेन्ट, देलवाडा रोड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

7.07.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही